न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
95 / 2023 / प्रा.पत्र / 2023

तारीख दायरा
11.09.2023

तारीख निर्णय
24.05.2024

सुरेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

बनाम .....प्रार्थी

1—श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जानकी लाल जैन निवासी ग्रा. पो. बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड—304024 मोबाईल नं. 9667934050

2—मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक। पिनकोड—304024

3—श्री गोविन्द नारायण गर्ग पुत्र श्री लादूराम गर्ग निवासी जैन मन्दिर के सामने, रघुनाथपुरी बडा तख्ता टोंक जिला टोंक राज. प्रोपरायटर मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खां की गली बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड—304001

4—मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खां की गली बडा कुंआ टोंक जिला टोंक राज.। पिनकोड—304001

5—श्री इस्लामुद्दीन पठान पुत्र श्री कमरूद्दीन पठान निवासी ए—30, एनबीसी के सामने, करणी माता मन्दिर के पास, अजमेर रोड, जयपुर मैसर्स महान मिल्क फूड्स लिमिटेड प्लॉट नं. 44 फर्स्ट फ्लोर अम्बाबाडी शॉपिंग सेन्टर अम्बाबाडी जयपुर राज.। पिनकोड—302039 मोबाईल नं. 9829023017

7—मैसर्स महान मिल्क फूड्स लिमिटेड प्लॉट नं. 44 फर्स्ट फ्लोर अम्बाबाडी शॉपिंग सेन्टर अम्बाबाडी जयपुर राज.। पिनकोड—302039

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(v) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थीगण की ओर से श्री गोविन्द नारायण गर्ग उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 24.05.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2023 को समय 02:30 पीएम पर मैसर्स महेन्द्र किराणा स्टोर बस स्टैण्ड बनेठा तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जानकी लाल जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेन्द्र कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में लगभग 20–22 पैकेट मूल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **घी (महान ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री महेन्द्र कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी (महान ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 209 एवं पैकिंग की दिनांक 1 जनवरी 2023 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 एम.एल.के कुल 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी (महान ब्राण्ड)** 500–500 एम. एल.के कुल 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3537 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3537 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री जानकी लाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स रामपाल गोविन्द नारायण शेर अली खां की गली बडा कुंआ टोंक का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म को पत्र प्रेषित कर वारन्टी बिल चाहा जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज के साथ–साथ बतौर वारन्टी मैसर्स महान मिल्क फूड्स लिमिटेड प्लॉट नं. 44 फर्स्ट फ्लोर अम्बाबाडी शॉपिंग सेन्टर अम्बाबाडी जयपुर का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/1804 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस. /1039/एक्ट/2023/1102 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी (महान ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन के कारण **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री गोविन्द नारायण गर्ग स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है तथा निर्माता फर्म से लेकर उसी अवस्था में विक्रय किया है। इसके लेबल पर सभी आवश्यक जानकारियां अंकित है तथा यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी (महान ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **घी (महान ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii),(v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.05.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
टोंक–राज0